न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड

पीठासीन अधिकारी- वीरमाराम आर0ए0एस0

प्रार्थीगण

1.श्री ओराराम पुत्र धरमाराम
2.श्री हराराम पुत्र धरमाराम
जातियान गरासिया निवासियान मूंगथला तहसील आबूरोड

अप्रार्थीगण

1.श्री अमरा पुत्र भूरीया जाति गरासिया
2.श्री जेठा पुत्र स्व केरा जाति गरासिया
3.श्री भूरा पुत्र स्व केरा जाति गरासिया निवासीयान मीरगढ मूंगथला आबूरोड।
4.श्री खंगारा पुत्र भूरा जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
5.श्री गणेश पुत्र काला जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
6.श्री जैठा पुत्र भूरीया जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
7.श्री मोहन पुत्र थाना जाति गरासिया निवासी मीरगढ आबूरोड।
8.श्री रमेश पुत्र गणेश जाति गरासिया निवासी मीरगढ आबूरोड।
9.श्री पोपट पुत्र गणेश जाति गरासिया निवासी मीरगढ आबूरोड।
10.श्री थावरा पुत्र मोना जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
11.श्री मावा पुत्र बाबु जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
12.श्री वेला पुत्र बाबू जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
13.श्री धोलीया पुत्र गणेश जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
14.श्री भगा पुत्र धरमा जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
15.श्री रमेश पुत्र लक्ष्मण जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
16.श्री रामा पुत्र धरमा जाति गरासिया निवासी मूंगथला आबूरोड।
17.श्रीमती हिरकी पत्नि लल्लु जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
18.श्री राकेश पुत्र लल्लु जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
19.श्री सोना पुत्र गोमा जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
20.श्री भटीया पुत्र सबला जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
21.श्रीमती झुमी पत्नि काला जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
22.श्री सकला पुत्र काला जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
23.श्री एम.पी पुत्र काला जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
24.श्री भीमा पुत्र मीठा जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
25.श्री राजु पुत्र मीठा जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
26.श्री लालीया पुत्र भूरा जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
27.श्री बाबु पुत्र भूरा जाति गरासिया [illegible]ला आबूरोड।
28.श्री वीरया [illegible] मूंगथला आबूरोड।
29.श्री सवला [illegible] निवासी धामसरा आबूरोड।
30.श्री सोनाराम पुत्र धरमा जाति गरासिया निवासी धामसरा आबूरोड।
31.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.06.21 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

20/06/2024
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023
दिनांक 20/06/2024

निर्णय

यहकि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम मूंगथला पटवार मण्डल मूंगथला तहसील आबूरोड के खाता संख्या नया 34 व पुराना खाता संख्या 29 खसरा नबर 1731, 1732 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/40–1/40 अविभाजित हिस्सा विद्यमान है। प्रार्थीगण अपने 1/40–1/40 अविभाजित हिस्से की कृषि भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से परिवार सहित काबिज होकर बतौर मालिक उसका उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा व ऐतराज के शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है। यहकि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 30 की नियत में अब खोट आ गई है जिस कारण वे प्रार्थीगण के 1/40–1/40 हक हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर हडप करना चाहते है। जिस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य बार–बार सीमाओ को लेकर विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 30 प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने में बाधा कारित करते है। प्रार्थीगण को उनके हिस्से की कृषि भूमि पर सिंचाई करने हेतु पानी नही लेने देते है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 30 बिना विभाजन कराये ही अविभाजित कृषि भूमि पर पक्की कोठारियो का अवैध निर्माण कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 से 30 को निर्माण करने से रोकने पर वे प्रार्थीगण से गाली गलौच कर लडाई झगडा करते है जिससे मौके पर हर वक्त शांति भंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अप्रार्थी संख्या 1 से 30 के उक्त अवैधानिक कृत्य के कारण प्रार्थीगण अपने 1/40–1/40 हिस्से की भूमि का विकास व वर्धन तथा खेती नही कर पा रहे है। जिस कारण प्रार्थीगण विभाजन कराने के अधिकारी है। यहकि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 30 द्वारा बार–बार उक्त विवादित कृषि भूमि बाबत विवाद करने एवं प्रार्थीगण को उनके खातेदारी 1/40–1/40 हक हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग नही करने देने एवं सिंचाई हेतु पानी नही लेने देने व भूमि का उपयोग उपभोग नही करने देने एवं सिचाई हेतु पानी नही लेने देने व काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने से हैरान परेशान होकर प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि में से अपने 1/40–1/40 हिस्से तक बंटवारा कराने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 30 से पूर्व में कई बार निवेदन किया किन्तु वे बंटवारा कराने हेतु तैयार नही हुए तथा प्रार्थीगण को उनके हक, हिस्से की कृषि भूमि पर खेती भी करने नही दे रहे है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 30 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम हर हाल में कोठरियो का निर्माण पुरा करके रहेगे, तुम तुम्हारा हिस्सा छोड कर भूमि का कब्जा खाली कर हमे सौप दो वरना तुम्हे जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेगे। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 30 द्वारा मौके पर युद्धस्तर पर अवैध निर्माण कार्य चालु है। जिस कारण प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.06.21 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूरोड (जिला-सिरोही)

20/06/2024
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

मैने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 30 द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 31 का जवाब प्राप्त जिसे शामिल मिसल किया गया।

मैने उभय पक्षीय बहस सुनी। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि मेरी खातेदारी का खेत मौजा मूंगथला मे आया हुआ है। जिस भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का बराबर हक है तथा वो पैतृक संपत्ति है। जिस पर काबिज होकर काश्त की जा रही है। विप्रार्थीगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही करने देते है, न ही सिंचाई हेतु पानी का उपयोग करने देते है, मौके पर पक्का निर्माण कार्य कर मौके से बेदखल करना चाहते है। मौके पर भूमि के कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, यदि मुझे कृषि कार्य से रोका जाता है एवं संयुक्त भूमि पर बंटवारा किए बिना निर्माण करने पर अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रकरण का विभाजन का होने एवं रेकर्डेड खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष साबित होता है, मौके पर अवैद्य निर्माण से भी सुविधा का संतुलन प्रभावित होगा। इसलिये विप्रार्थीगण को मौके की वर्तमान स्थिति मे हस्तक्षेप न करने हेतु पाबंद कराने का कथन किया है। इसके विपरित विप्रार्थीगण अधिवक्ता दौराने बहस कथन किया कि प्रश्नगत आराजी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता।

मैने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर प्रश्नगत आराजी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति मे अविभाजित कृषि भूमि मे पक्की कोठरियों का अवैद्य निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण के सुविधा का संतुलन प्रभावित होगा और प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है और विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनके 1/40–1/40 हक, हिस्से की कृषि भूमि से जबरन बेदखल नही करे एवं न ही कृषि कार्य मे कोई बाधा, सिंचाई हेतु व मवेशियों के लिये पानी लेने से नही रोके या अन्य किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप कारित न तो स्वयं करे न ही अपने सहयोगियों के मार्फत् करावे, न ही अवैद्य अतिक्रमण करे न ही करावें एवं अविभाजित कृषि भूमि में पक्की कोठरियों का अवैद्य निर्माण नही करे व न करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में जमा हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.06.21 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर
आबूरोड (जिला-सिरोही)

वीरमा
20/06/2024
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)